न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण

अपील संख्या 204 / 2022

जुगलकिशोर सैनी पुत्र श्री नारायणराम, जाति माली, निवासी माताजी की ढाणी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)।

——

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला

——

——

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30.11.2022 द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार नवलग / राजस्व / 2022 / 1097 दिनांक 30.11.2022

——

उपस्थित

1. श्री राजेश कुमार सैनी एवं श्री फूलचन्द सैनी, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 22

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार नवलगढ के आदेश राजस्व / 2022 / 1097 दिनांक 30.11.2022 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्र गई है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न आधारों सहित पेश है कि अदालत मा आदेश विधि विरूद्व व एकपक्षीय है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना किसी प्र नोटिस दिये एकपक्षीय आदेश पारित किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी के विरूद्व कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है। खेत खसरा नम्बर 75 15 हैक्टर के खातेदार द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का समर्पणनामा स्वास्थ्य केन्द्र के किया गया जबकि उक्त समर्पण स्वास्थ्य केन्द्र के नाम समर्पण करने से पूर्व ही ख पुत्र संजय ने खेत खसरा नम्बर 75 [illegible] का निर्माण कर वि विभाग के द्वारा अब उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाया ज[illegible] पर [illegible]त भूमि कम पडने पर भू नम्बर 72 व 74 की नपति न कर [illegible] नम्बर 96 की गलत रिपो हल्का से करवाकर अपीलान्ट की [illegible] अदालत अतिक्रमित एरिया की नपति न कर [illegible] सुने ही ही उसकी को तोड दिया गया है। अदालत मातहत का उक्त कृत्य उसका मनमाना कृत्य है। किसी के विरूद्व भी कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। अदालत मातहत को भू 72 व 74 की नपति करनी चाहिए थी जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अतिक्र के द्वारा किया गया है। उक्त कानूनी बिन्दू पर अदालत मातहत ने गौर न कर आदे किया है। अदालत मातहत को अपीलान्ट के द्वारा जोहड की भूमि मे बन रहे स्वास्थ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.22 17:25:03 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी देने के बावजूद अदालत मातहत के द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही न कर अपीला को उसकी खातेदारी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। अदालत मातहत के द्वारा म चिकित्सा अधिकारी झूठी रिपोर्ट पर विश्वास करके अपीलान्ट के विरूद्व बेदखल करने मे भू कानूनी की है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीक की जाकर आदेश अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ दिनांक 30.11.2022 निरस्त कि जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ पुनः अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जावे कि भू ख0न0 72, 74 की नपति अपीलान्ट की उपस्थिति मे करने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के अप तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बि किसी प्रकार कोई नोटिस दिये एकपक्षीय आदेश पारित किया है। विधि का सुस्थापित सिद्व है कि बिना सुने किसी के विरूद्व कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है। खेत ख नम्बर 75 रकबा 0.15 हैक्टर के खातेदार द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का समर्पणनामा स्वा केन्द्र के नाम से किया गया जबकि उक्त समर्पण स्वास्थ्य केन्द्र के नाम समर्पण करने से ही खातेदार के पुत्र संजय ने खेत खसरा नम्बर 75 की कुछ भूमि पर चारदीवारी का नि कर लिया था। विभाग के द्वारा अब उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जान पर उक्त भूमि कम प पर भूमि खसरा नम्बर 72 व 74 की नपति न कर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 96 गलत रिपोर्ट पटवार हल्का से करवाकर अपीलान्ट की भूमि को हडपना चाहते है। अदा मातहत के द्वारा अतिक्रमित एरिया की नपति न कर अपीलान्ट को बिना सुने ही ही उ चारदीवारी व गेट को तोड दिया गया है। अदालत मातहत का उक्त कृत्य उसका मन कृत्य है। बिना सुने किसी के विरूद्व भी कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। अद मातहत को भूमि ख0न0 72 व 74 की नपति करनी चाहिए थी जिससे स्थिति स्पष्ट हो है कि अतिक्रमण किस के द्वारा किया गया है। उक्त कानूनी बिन्दू पर अदालत मातह गौर न कर आदेश पारित किया है। अदालत मातहत को अपीलान्ट के द्वारा जोहड की भू बन रहे स्वास्थ्य केन्द्र की जानकारी देने के बावजूद अदालत मातहत के द्वारा कोई प्र कार्यवाही न कर अपीलान्ट को उसकी खातेदारी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। अद मातहत के द्वारा मात्र चिकित्सा अधिकारी झूठी रिपोर्ट पर विश्वास करके अपीलान्ट के बेदखल करने मे भूल कानूनी की है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अ अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ दिनांक 30.11.2022 निरस्त किया जाकर पत्रावली निर्देश के साथ पुनः अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जावे कि भूमि ख0न0 72, 74 नपति अपीलान्ट की उपस्थिति मे करने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.22 17:25:03 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान वर्णन अपीलान्ट के कथनों का किया तथा कथन किया कि ग्राम जोहड की ढाणी मे स्थित भूमि ख0न0 75 उप स्व केन्द्र की भूमि है जिस पर अपीलान्ट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है। तहसी नवलगढ ने बाद जांच नियमानुसार विवादित भूमि के मौके से अतिक्रमण हटाने की का की है। अदालत मातहत का आदेश दिनांक 30.11.2022 विधि के अनुसार है जिसमें प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रा
के अवलोकन से साफ जाहिर है कि ग्राम जोहड की ढाणी मे स्थित भूमि ख0न0 75
स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि है जिस पर अपीलान्ट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है।
अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ ने बाद जांच नियमानुसार विवादित भूमि के मौके
अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 30.11.2022
किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः सारहीन
से अपीलान्ट की यह अपील खारीज की जाती है। अपील खारीज होने की स्थिति में स्थ
की बाबत अलग से कोई आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। मातहत रे
आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं
तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी
जिला कलक्ट
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.22 17:25:03 IST
Reason: SelfAttested